भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1227
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक अदालतें

1227 # श्री नीरज डांगी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए राज्य- वार और जिला-वार लगभग कितनी फास्ट ट्रैक अदालतों की आवश्यकता है ;

(ख) देश के ऐसे जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां वर्तमान में फास्ट ट्रैक अदालतें नहीं हैं ;

(ग) विगत दो वर्षों के दौरान फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में लंबित मामलों के साथ-साथ फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : त्वरित न्यायालय (एफटीसी) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और उनका कामकाज उनके संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे न्यायालयों के लिए धन का आवंटन राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा गठित 14वें वित्त आयोग ने जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, लाइलाज बीमारियों से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए 2015-2020 के दौरान 1800 एफटीसी स्थापित करने की सिफारिश की थी। वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध बढ़ी हुई राजकोषीय गुंजाईश का उपयोग करने का आग्रह किया था। संघ सरकार ने भी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों ने 31.10.2024 तक 863 एफटीसी स्थापित किए हैं। अक्टूबर, 2024 तक स्थापित और कार्यरत किए जाने वाले एफटीसी की संख्या का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण उपाबंध में दिया गया है। संघ सरकार ने 2015-16 से राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक एफटीसी स्थापित करने का बार-बार आग्रह किया है। अधिक एफटीसी की स्थापना मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में एजेंडा आइटमों में से एक के रूप में भी शामिल रही है।

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 का कार्यान्यवयन करने और विशेष रूप से पॉक्सो अधिनियम के मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों

का पालन करने के लिए, सरकार ने अगस्त 2019 में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की।

एफटीएससी स्कीम आरम्भ में एक वर्ष के लिए 02.10.2019 से दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 में ₹ 767.25 करोड़ के कुल परिव्यय पर आरम्भ की गई थी जिसमें ₹ 474 करोड़ केंद्रीय हिस्सा था। 04.08.2021 को हुई अपनी बैठक में मंत्रिमंडल ने ₹ 1572.86 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 31.03.2023 तक दो और वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23) के लिए स्कीम को जारी रखने को अनुमोदित किया जिसमें ₹ 971.70 करोड़ केंद्रीय हिस्सा है। संघ के मंत्रिमंडल ने अब इस स्कीम को और तीन वर्ष अर्थात 01.04.2023 से 31.03.2026 तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसका कुल परिव्यय ₹ 1572.86 करोड़ है। इस स्कीम के अंतर्गत 1952.23 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी, जिसमें 1207.24 करोड़ रुपये केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में होंगे।

केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से पूरा किया जाएगा। इस स्कीम का फंड-शेयरिंग पैटर्न 60:40 (केंद्र: राज्य) और पूर्वोत्तर तथा 3 हिमालयी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 90:10 है। हालांकि, बिना विधानसभा वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त इनपुट के अनुसार, 31.10.2024 तक 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 408 विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित 750 एफटीएससी कार्यरत हैं। इन न्यायालयों ने 31.10.2024 तक 2,87,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

****

05-12-2024 के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1227 के उत्तर में यथाविनिर्दिष्ट उपाबंध

अक्टूबर, 2024 तक आवंटित और कार्यरत एफटीसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	**संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	स्थापित किए जाने वाले एफटीसी की संख्या	कार्यरत एफटीसी की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	**0**	**0**
2	आंध्र प्रदेश	**47**	**21**
3	अरुणाचल प्रदेश	**0**	**0**
4	असम	**36**	**15**
5	बिहार	**147**	**0**
6	चंडीगढ़	**2**	**0**
7	छत्तीसगढ	**28**	**27**
8	दादरा और नगर हवेली और दीव और दमन	**1**	**0**
9	दिल्ली	**63**	**26**
10	गोवा	**5**	**4**
11	गुजरात	**174**	**54**
12	हरियाणा	**48**	**6**
13	हिमाचल प्रदेश	**13**	**3**
14	जम्मू - कश्मीर	**21**	**8**
15	झारखंड	**50**	**41**
16	कर्नाटक	**95**	**0**
17	केरल	**41**	**0**
18	लद्दाख	**0**	**0**
19	लक्षद्वीप	**0**	**0**
20	मध्य प्रदेश	**133**	**0**
21	महाराष्ट्र	**203**	**101**
22	मणिपुर	**3**	**6**
23	मेघालय	**4**	**0**
24	मिजोरम	**7**	**2**
25	नगालैंड	**3**	**0**
26	ओडिशा	**63**	**0**
27	पुदुचेरी	**2**	**0**
28	पंजाब	**50**	**7**
29	राजस्थान	**93**	**0**
30	सिक्किम	**1**	**2**
31	तमिलनाडु	**87**	**72**
32	तेलंगाना	**37**	**0**
33	त्रिपुरा	**9**	**3**
34	उत्तर प्रदेश	**212**	**373**
35	उत्तराखंड	**28**	**4**
36	पश्चिमी बंगाल	**94**	**88**
	कुल	**1800**	**863**

****